The Uttarakhand Reservation in Government Service for the Identified Andolankari of Uttarakhand State Movement or their Dependents Act, 2023

Act No. 11 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–84 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

283

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 18 अगस्त, 2024 ई0

श्रावण 27, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023

देहरादून, 18 अगस्त, 2024

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023' पर दिनांक 17 अगस्त, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 11, वर्ष– 2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2024)

अधिनियम

{ भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो }

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 होगा।

(2) यह अधिनियम, इस अधिनियम की धारा-5 के प्रयोजनार्थ दिनांक 11 अगस्त, 2004 से एवं अवशेष उपबन्धों के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

(3) यह अधिनियम राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों के सम्बन्ध में लागू होगा।

(4) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या दिशा-निर्देशों आदि में अन्तर्विष्ट इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य व प्रभावी समझे जायेंगे।

परिभाषाएं

3. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "चिन्हित आन्दोलनकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका चिन्हिकरण सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य आन्दोलनकारी के रूप में किया गया हो और उसे उक्त सन्दर्भ में प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र निर्गत किया गया हो;

(ख) "आश्रित" से चिन्हित आन्दोलनकारी की यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) अभिप्रेत है।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

285

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ड.) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(च) "उत्तराखण्ड" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(छ) "सक्षम अधिकारी" से जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

राज्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजन हेतु आरक्षण

4. (1) उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

व्यावृत्ति

5 दिनांक 11 अगस्त, 2004 को एवं उसके पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन विभिन्न राजकीय सेवाओं/पदों हेतु चयनित/नियुक्त राज्य आन्दोलनकारियों का चयन/नियुक्ति इस अधिनियम के तहत वैध मानी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य की विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,
अपर सचिव।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

286

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण हेतु उत्तराखण्ड की स्थानीय जनता द्वारा एक वृहद आन्दोलन किया गया था, जिसमें अनेक लोगों द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गयी और भाँति–भाँति की यातनाएं सही गयी।

उक्त आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति चिन्हित/वर्गीकृत हैं। आन्दोलनकारियों के ऐसे वर्ग को उनके द्वारा दिये गये बलिदान को ध्यान में रखते हुए सम्मान दिया जाना और लोक सेवाओं में ऐसे आन्दोलनकारियों का प्रतिनिधित्व लिया जाना समीचीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार AIR 1993 SC 477 नामक निर्णयज विधि, जिसमें अवधारित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों (यथा बाढ़ पीड़ित, चकवात पीड़ित, अग्नि पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित आदि) को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राज़कीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(प्रेम चन्द अग्रवाल)
संसदीय कार्य मंत्री।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधायी/367–2024–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

287

प्रस्ताव

विधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 205 सपठित अनुच्छेद 203 के अधीन अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकृत कर दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य की संचित निधि में से विधान सभा द्वारा इस प्रकार स्वीकृत किये गये अनुदान मांगों की और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसरण में यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
वित्त मंत्री

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

क्रम संख्या–85 (ख)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 18 अगस्त, 2024 ई0

श्रावण 27, 1946 शक सम्वत्

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Legislative And Parliamentary Affairs Department

No. 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023

Dated Dehradun, August 18, 2024

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Reservation in Government Service for the Identified Andolankari of Uttarakhand State Movement or their Dependants Act, 2023 as amended by the Select Committeee (Uttarakhand Act No. 11 of 2024).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on **17th August, 2024.**

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

The Uttarakhand Reservation In Government Service For The Identified Andolankari Of Uttarakhand State Movement Or Their Dependants Act, 2023 As Amended By The Select Committee

{Uttarakhand Act No. 11, of 2024}

An

Act

[Be it enacted by the Legislative Assembly of Uttarakhand in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows]

Short title and commencement, extent and applicability	1.	(1)	This Act may be called the 'The Uttarakhand Reservation in Government Service for the Identified Andolankari of Uttarakhand State Movement or their Dependents Act, 2023.'
		(2)	For the purposes of section 5, this Act shall be deemed to have come into force from 11th August, 2004 and for the purposes of the remaining provisions with immediate effect.
		(3)	This Act shall apply to all the posts of direct recruitment under the State Government services.
		(4)	It shall extend to the whole state of Uttarakhand.
Overriding effect of the Act	2.		Notwithstanding anything inconsistent contained in any other Act or judgement/decree/order or directions of any Court, the provisions of this Act, shall be deemed to be valid and effective
Definitions	3.		In this Act, unless the context otherwise requires-
		(a)	'Identified Andolankari' means a person who has been duly identified as State Andolankari by the competent authority and a Certificate/Identity card has been issued in the aforesaid context.
		(b)	'Dependents' means wife or husband as the case may be, son and daughter (it includes married, widowed, abandoned by husband, divorced daughter also) of the Identified Andolankari.
		(c)	'Government' means the State Government of Uttarakhand;

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

		(d)	'Governor' means the Governor of Uttarakhand;
		(e)	'Rule' means the Rules framed under this Act;
		(f)	'Uttarakhand' means the State of Uttarakhand;
		(G)	'Competent Authority' means the District Magistrate;
Reservation to State Andolankari for employment in Government Services	4.	(1)	Identified Andolankari or their dependents shall be given 10 percent horizontal reservation in Uttarakhand state services.
Savings	5.	(1)	The selections/appointments of the State andolankari made to different Government services/posts as per the government order issued on 11th of August 2004 or thereafter, shall be deemed to be valid selections/ appointments under this Act.
Power to make rules	6.	(1)	The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
		(2)	Every rules framed under this Act shall as soon as may be, after they are made, be laid before the State Legislature.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Statement of Objects and Reasons

A massive movement was launched by the local people of Uttarakhand for the creation of Uttarakhand state, in which many people sacrificed their lives and endured various kinds of tortures.

The persons who participated in the said movement have been identified/classified. Keeping in mind the sacrifices made by them. it is appropriate to honour to such a class of Andolankari and to have representation of such Andolankari in public services.

In view of the decision of the Honourable Supreme Court in Indira Sawhney vs. Union of India AIR 1993 SC 477, in which it was held that besides Scheduled Castes/Scheduled Tribes, reservation can also be provided to other socially and educationally backward classes (like flood victims, cyclone victims, fire victims, war victims, riot victims, etc.), it is proposed to bring a bill to provide 10 per cent horizontal reservation in Government services to the Andolankari of Uttarakhand State Movement or their dependents.

The proposed bill fulfills the above objective.

Prem Chand Aggarwal
Parliamentary Affairs Minister

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,
Principal Secretary.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner